

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / वित्त / आडिट / अ / 2016/७७  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20-04-16

- 1 समस्त संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।  
2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा ।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/2006/नियम/चार दिनांक 13  
अगस्त 2008.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008  
द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में  
उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी गई  
है ।

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/2006/नियम/चार दिनांक 13 अगस्त 2008  
द्वारा उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक  
संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया  
है ।


- 1- संबंधित कलेक्टर - एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस  
2- विभागाध्यक्ष - एक वर्ष में अधिकतम 30 दिवस

उपरोक्त निर्देशों के विपरीत संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने रत्तर से  
विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किया जाकर आनुपातिक रूप  
से अर्जित अवकाश सुरक्षित किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्रता से अधिक अर्जित अवकाश समर्पण का  
लाभ प्रदान किया जा रहा है जिससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है ।

भविष्य में शासनादेशों के अधीन समर्पण का लाभ न होने पर अनियमितता के लिये उत्तरदायित्व  
निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी ।

अतः वित्त विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार  
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

  
अपर संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक / वित्त / आडिट / अ / 2016/  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, स्थापना-1, 2, 3, 4 की ओर सूचनाथ  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
अपर संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

पश्चिम प्रदेश शासन

वित्त विभाग

बॉलीवुड भवन-मेन्टेलिय-भोपाल

दिनांक 2 अगस्त, 2008

फॉर्म एक 6-2/2008/वित्त, चार

1. प्रमुख सचिव/सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/  
आदिप्रजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/  
तकनीकी शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/  
कृषक कल्याण विकास विभाग।
2. आयुक्त / रंचालाय  
उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/  
आदिप्रजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/  
तकनीकी शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/  
कृषक कल्याण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवगो को अवकाश सुविधा।

\*\*६

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-1/13/77/नि।/चार, दिनांक 16-7-1980 के द्वारा राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अधिकृत अवकाश वे नगदीयरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी अधिकतम सीपा 240 दिन है।

2/ विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवगो जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में ड्युटी पर बैठाये जाने का फलस्वरूप बनाया छूट के बदले देय अंजित अवकाश को रोतानिवृत्ति के शामय नगदीयरण वित्त जाने का प्रस्ताव शासन के विधाराधीन था। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 119/2008/वित्त, चार, दिनांक 16 जून 2008 द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवगो को विश्रामावकाश का लाभ लेने से बंधित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अंजित अवकाश के नगदीयरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान ही नहीं है।

3/ उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवगों के कर्मचारियों को ड्युटी पर आहूत किए जाने के प्रशासकीय अधिकार को निर्धारित निर्धारित किया जाता है:-

(i) संबंधित कलेक्टर - एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन

(ii) विभागाध्यक्ष - एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन

4/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई ही पालन गुनिश्चित कराने का कष्ट धारे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

अजीत

(ए पी. शीवासत्क)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग